सत्यमेव जयते

**असंशोधित**

# बिहार विधान–सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

## 24 जुलाई, 2025

**बिहार विधान सभा सचिवालय,**

**पटना ।**

सप्तदश विधान सभा — वृहस्पतिवार, तिथि 24 जुलाई, 2025 ई०
पंचदश सत्र — 02 श्रावण, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।
अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । माननीय सदस्यगण, बैठिये । क्या है बताइये ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, कल जो चर्चा हो रही थी और आपने भी सभी दल के लोगों के लिए समय निर्धारित किया था कि अपने पक्ष को एस०आई०आर० के मुद्दे पर रखेंगे । हम आपसे विनम्र आग्रह करेंगे कि जो अधूरी चर्चा रह गयी थी उस चर्चा को पूरा किया जाय ताकि अपने दल के सभी लोग एस०आई०आर० के विषय पर अपनी बात को रख सकें ।

अध्यक्ष : कल आपने अपनी बात रखी है अगर पूरी नहीं हुई होगी तो संक्षेप में दो–चार मिनट में अपनी बात पूरी कर लें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, बैठिये । बैठ जाइये । पहले बैठ जाइये । नेता विरोधी दल, बोलिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमलोगों की चिंता पर ध्यान देते हुए हमलोगों को समय दिया है बोलने का और यह आखिरी सत्र है, महोदय । मुख्यमंत्री जी ठीक ही कह रहे थे कि अब हम सब लोगों को चुनाव में जाना है । अब तो जनता तय करेगी कि कौन आयेगा, नहीं आयेगा ? क्योंकि जनता लोकतंत्र में मालिक है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता का वोटर लिस्ट से नाम न कटे तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है महोदय, तो इसी विषय पर, ज्यादा नहीं हम दो मिनट या तीन मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे लेकिन कल जो हुआ वह हमलोगों को ठीक नहीं लगा । हम सबलोग यहां एक ही मकसद से आते हैं बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों की तरक्की की बात हो । चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हमलोगों का साफ एक ही ऐम है, मकसद है कि हमारा राज्य जो है आगे बढ़े । कल अगर किन्हीं लोगों को, क्योंकि अब यह आखिरी ही सत्र है तो पांच साल में अगर हमसे भी कोई गलती हुई होगी या हमारे सदस्यों से कोई गलती हुई होगी, अगर ठेस पहुँची होगी तो उसके लिए भी हम माफी

मांगने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं महोदय लेकिन ये दोनों तरफ से होना चाहिए था, कल जो भी बात हुई दोनों तरफ से बातें हो कर आयी है, अब हम नहीं चाहते हैं कि बेकार की बातों पर हमलोग चर्चा करें, मुद्दे की बात पर हम सब लोगों को चर्चा करना चाहिए ।

महोदय, कल जो हम बता रहे थे कि अगर बाहरियों की बात आयी है तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है तय करने वाला ? वह तो भारत सरकार और केन्द्रीय मंत्रालय का गृह विभाग की ड्यूटी है । इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना और इलेक्शन कमीशन ने एफीडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट में 700 से भी अधिक पन्नों का, जिसमें कहीं भी विदेशी शब्द का जिक्र नहीं है, नेपाली, बांगलादेशी, म्यंमार का जिक्र नहीं है महोदय और आप देखियेगा कि बी॰जे॰पी॰ के भी जो बी॰एल॰ए॰ होते हैं बूथ लेवल के जो एजेंट होते हैं उन लोगों ने भी आज तक इसके बारे में शिकायतें नहीं की, यह सच्चाई है महोदय । बात अगर, घुसपैठिया अगर आया भी है तो ये लोग, स्वयं सरकार अपने ऊपर सवाल उठा रही है । वर्ष 2003 में अटल बिहारी जी के समय में हुआ था, राज्य सरकार में श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, आखिरी बार वर्ष 2003 में हुआ था, उसके बाद वर्ष 2005 से 2025 तक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी थे, अगर कोई विदेशी, कोई अगर घुसपैठिया आया है तो गलती सरकार की है, उस समय के लोगों की है तो यह बड़ा प्रश्न है । बेकार की बातों में हमलोगों को उलझना नहीं चाहिए, हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि एक–एक बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम न कटे इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे इसलिए हमलोग चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर तो जनता दल यूनाइटेड के एम॰पी॰ ने भी कल हमलोगों के पक्ष में बात रखी है और एन॰डी॰ए॰ के जो सबसे बड़े सहयोगी दल श्री चन्द्रबाबू नायडु, चन्द्रबाबू नायडु जी ने भी हमलोगों के साथ सहयोग किया है और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सुझाव दिया है महोदय । आपलोग भी, हम चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पर बोलेंगे और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दें कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटने देंगे । महोदय, क्योंकि जाति आधारित गणना जब हमलोगों ने कराया था तो नौ से दस महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के और उन नौ से दस महीने में बी॰जे॰पी॰ के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया तो पच्चीस दिन में कहाँ से आठ करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय, यह तो प्रश्न उठता ही है । महोदय, हम तो कल सारी बातें कह ही दिये थे समय को लेकर के, जो दस्तावेज मांगे जा रहे थे 11 दस्तावेज तो वह गरीब के पास है ही नहीं और महोदय, कई ऐसे दस्तावेज हैं जो आधार कार्ड देख कर ही वह दस्तावेज बनते हैं लेकिन आधार कार्ड इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा है तो यह बड़ा

सवाल होता है । खासतौर पर 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग बाहर जाकर कमाने–खाने जाते हैं, पता नहीं कोरोना के टाईम में 40 लाख लोग आये थे तो क्या स्थिति हुई थी, अब ये 4.5 करोड़ लोगों का कैसे इनलोगों ने सत्यापन किया है, इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है तो महोदय, हम चाहेंगे कि आपने समय दिया इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और चाहेंगे कि इसमें पक्ष–विपक्ष एक रहे, हम सब लोग वही वोटर लिस्ट से चुन कर आये हैं जिस पर चुनाव आयोग अंगुली दिखाने का काम कर रहा है । चाहे आप हों या हम हों यानी सारा चुनाव ही वर्ष 2003 के बाद से फर्जी है तो यह बड़ा सवाल खड़ा होता है । कम–से–कम अपने मालिकों के बारे में हम सब लोगों को सोचना चाहिए, उन गरीब, वंचित, शोषित समाज अंतिम पायदान पर जो खड़ा समाज है उनको एक ही अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया है वोट का अधिकार । महोदय, वोट की इतनी ताकत है कि बड़ा–से–बड़ा नेता क्यों न हो, प्रधानमंत्री क्यों न हो उसको भी अपने गरीब वोटरों के आगे झुकना पड़ता है । महोदय, हम चाहेंगे कि सभी दल के लोग अपने पक्ष को रखे और आपने जो समय दिया, इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खाँ । दो मिनट में अपनी बात कहिये ।

श्री शकील अहमद खाँ : अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को समय दिया और मुझे यह विश्वास है कि जिन बुनियादों को हमलोग रख रहे हैं और जिस तार्किक अंदाज से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी हैं उसको सरकार संज्ञान में लेगी । एक छोटी–सी कविता मुझे लगी की पढ़नी चाहिए....

अध्यक्ष : ऐसा न हो कि हम भी पढ़ने लगें उसके बाद ।

श्री शकील अहमद खाँ : महोदय, यह परवेज अख्तर की है–

उनके गिरेबां में खंजर हो, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता,
कोई अपना गम सुनाये मुझे खैराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता,
मैं इंसान हूँ मुझे खुदा ने बनाया है इंसान के लिए,
किसी इंसान को दर्द हो मुझे वह दर्द न हो, ऐसा हो नहीं सकता,
तुम भूल गये अपने फर्ज को मुझे फर्ज याद न हो, ऐसा हो नहीं सकता,
तुम बांटते हो समाज को मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता ।

ये बात....

अध्यक्ष : शकील साहब, आपके इस पंक्ति पर चुनाव आयोग को अगर बोलना होगा तो क्या बोलेगा आपको मालूम है ? वह कहेगा कि इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं और इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं । यही वह कहेगा, दूसरा कुछ नहीं कह सकता है । बोलिये ।

श्री शकील अहमद खाँ : महोदय, इस बार x x x के इरादे कैसे हैं, उसका अंदाजा इस तरह से हो रहा है कि....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, टोका–टोकी नहीं कीजिये ।

श्री शकील अहमद खाँ : महोदय, उनके इरादे की पुख्तगी का इल्फ यूं हो रहा है कि संविधान में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांत रहिये ।

श्री शकील अहमद खाँ : महोदय, हमारा जो वोट का अधिकार है, आजादी के पहले हमारे वोट का अधिकार चंद लोगों के हाथों में थे, आजादी के बाद से असल मामला एक–एक आदमी का चाहे वह गरीब, तरीन आदमी हो, चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग का हो, उसके वोट का अधिकार उसको दिया गया है और अगर उस वोट के खिलाफ कोई काम न्यायसंगत नहीं हो रहा हो तो तकलीफें होंगी। आप यह कहिये, आपको कहना चाहिए कि एस॰आई॰आर॰ हो लेकिन उसका टाईम फ्रेम क्या है ? इस टाईम फ्रेम में, बिहार में आपने बहुत सारे एनाउंसमेंट किये हैं सरकार ने, उसके इंप्लिमेंटेशन की कोई आपको सपना नहीं आ रहा है, आप इंप्लिमेंटेशन अपने अहंकारों से एस॰आई॰आर॰ के मामले में करवा रहे हैं तो क्या यह मुमकिन है ? यह मुमकिन नहीं है जो काम कम–से–कम साल में होना चाहिए था, आपको मैं बताता हूँ जितने भी हमारे एम॰एल॰ए॰ साहबान दोस्त–मित्र हैं । अपने–अपने ब्लॉक में जाएं और अपने–अपने ब्लॉक में दखेंगे कि इवेन रेसिडेंसियल सर्टिफिकेट हजारों–हजार की तादाद में उनके ब्लॉक में रेसिडेंसियल सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं तो मैं यह बताना चाहता हूँ आपने जो समय दिया कि आखिर क्या वजह थी कि इस शिगूफे को इलेक्शन कमीशन ने लाया है, वह वजह पूरे बिहार को, पूरे मुल्क को इस बात की समझ है । वह समझ यह है कि आपके तमाम जो सर्वे आये हैं जो इंटरनल सर्वे में मौजूदा सरकार बिहार की हार रही है...

....क्रमशः....

टर्न–2/संगीता/24.07.2025

(क्रमशः)

श्री शकील अहमद खां : अपनी हार के डर से, अपनी हार की मुसीबतों को देखते हुए आपने यह फैसला किया क्योंकि पिछली बार जो अंतर था सरकार का और प्रतिपक्ष का...

अध्यक्ष : लेकिन यह इस सरकार का फैसला नहीं है, आप विषय पर आइए ।

श्री शकील अहमद खां : यह अंतर सिर्फ 12 हजार का था, अगर आप 25–50 लाख काट लेंगे तो आप उस तरीके से अपनी सरकार बना लेंगे । यह आसान सा काम, यह आसान सा फार्मूला समझ में आता है लेकिन याद रखिएगा कि यह जो हो रहा है इसको हम होने नहीं देंगे । हम यह बात आपके सामने कह रहे हैं– ''वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं

आसमानों में''। अंदाजा नहीं है आपको कि आप क्या कर रहे हैं और आपको यह भी अंदाजा नहीं है कि विपक्ष क्या करेगा । हम अपने वोटर के अधिकार का, उससे किसका वोट जा रहा है, वंचित समाज जो, कौन सबसे ज्यादा पलायन के लिए जाता है, कौन सबसे ज्यादा मजदूरी के लिए जाता है, दलित समाज, हमारा करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में बाहर है, उसका वोटर लिस्ट में से वोटर का नाम काट दिया जाएगा...

अध्यक्ष : संक्षेप करिए अब ।

श्री शकील अहमद खां : माइनोरिटी, अति पिछड़ा इन तमाम के 50–50 लाख काट दीजिए और जीत जाइए, अगर यह कोशिश आपकी है इसीलिए शिगूफा है तो यह हम होने नहीं देंगे, यह याद रखिएगा । बहुत–बहुत शुक्रिया आपने समय दिया ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री महबूब आलम, 2 मिनट में अपनी बात कहिए, टू द प्वाइंट कहिए ।

श्री महबूब आलम : बहुत–बहुत शुक्रिया महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया । दरअसल महोदय, विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के जरिए बिहार के करोड़ों गरीब, मजलूम, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शहंशाहबादी, दलित को वोट से वंचित करने की साजिश कर रही है महोदय...

(व्यवधान)

आप व्यवधान मत डालिए...

अध्यक्ष : शांत रहिए । सुनिए दूसरे की बात भी ।

श्री महबूब आलम : महोदय, ये 780 पन्ने के एफिडेविट में एक भी घुसपैठिया का नाम नहीं है और घुसपैठिया शब्द नहीं है । ये लोग घुसपैठिया का नैरेटिव पैदा करके दरअसल मुसलमानों को गाली दे रहे हैं । महोदय, 2020 के चुनाव आयोग के सर्वेक्षण के तहत गुजरात, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में 2016 में एक भी घुसपैठिया नहीं है । 2017 में एक भी घुसपैठिया नहीं है, 2018 में सिर्फ 3 घुसपैठिया बस 3, सिर्फ 3 विदेशी, 2019 में एक भी नहीं । ऐसी हालत में हम बिहार की गरीब जनता जो करोड़ों अपनी रोजी–रोटी हासिल करने के लिए, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जो दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं उनको तत्काल टिकट नहीं मिलती है रेल में, 22 दिन तक कोई कन्फर्मेशन टिकट नहीं मिलती है महोदय । वे करोड़ों लोग यहां आकर के अपना आवासीय सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं ? इनका अंचल जो भ्रष्टाचार का शिकार है, आकंठ मस्तक तक इनके पदाधिकारी जो भ्रष्ट हैं, आप बताइए कि हमारे जैसे लोगों को अभी भी रेसिडेंसियल सर्टिफिकेट बनाने की संभावना नहीं है, ऐसी हालत में...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय. XXX

(व्यवधान)

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गए )

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बैठ जाइए । नहीं, इसको हम अलाउ नहीं करते हैं, इसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय । बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

बैठ जाइए, इसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया है, बैठिए न ।

श्री महबूब आलम : महोदय, इसलिए मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे...

अध्यक्ष : बैठ जाइए । श्री अजय कुमार ।

(व्यवधान)

ये उपयोग–दुरूपयोग नहीं करिए, इसके लिए बहुत अवसर आपको मिलने वाले हैं । आप बैठिए, आप बैठिए न ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रोसीडिंग से निकाल दिया है आप बैठिए न । इसके लिए आपको बहुत अवसर मिलेंगे, ये सब करिएगा चुनाव के समय में, अभी विषय पर बोलिए । बोलिए अजय जी ।

(व्यवधान)

बैठिए न, बैठ जाइए ।

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर बैठ गए )

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि एस0आई0आर0 मुद्दे पर आपने अपनी बात, पार्टी की बात को रखने का मौका दिया और ...

(व्यवधान )

अध्यक्ष : बैठिए न । बैठ जाइए ।

श्री अजय कुमार : मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कई ऐसे मौके पर जब केंद्रीय सवाल पर इस सदन को कोई प्रस्ताव रखने की जरूरत पड़ी तो प्रस्ताव पेश किया है । मैं चाहता हूं कि एस0आई0आर0 अविलंब वापस हो, वह रूके । रूके इसलिए चूंकि आज जिस दौर में एस0आई0आर0 कराने की कोशिश की गई है, ये बिहार विधान सभा चुनाव से पहले मैं साफ कहना चाहता हूं कि अभी तक जो बातें सामने आई हैं, इलेक्शन कमीशन का जो एक वर्डिक्ट आया

है कि लगभग 40 से 50 लाख लोगों का नाम जो फर्जी वोटर थे, उनके काटे गये हैं । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं और इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि अगर 40 से 50 लाख वोटर थे तो इलेक्शन कमीशन आजतक क्या कर रही थी, अगर वे 40 से 50 लाख वोटर फर्जी था...

अध्यक्ष : अब हो गया ।

श्री अजय कुमार : क्या लोकसभा चुनाव को आप रद्द कर देंगे और अगर यह नहीं करेंगे तो बिहार विधान सभा चुनाव के बाद आप इस कार्यक्रम को कीजिए । दूसरी बात हम कहना चाहते हैं...

अध्यक्ष : समाप्त कीजिए अब ।

श्री अजय कुमार : आज शायद मेरे कुछ दोस्त सोच रहे थे ये कार्रवाई जो हो रही है, इस बिहार के अल्पसंख्यकों के खिलाफ मैंने उस समय कहा था जब एन0आर0सी0, सी0सी0ए0 कानून लाने की जो बात हो रही थी, मैंने बोला था...

अध्यक्ष : ये सब बात बाद में करिएगा । श्री सूर्यकान्त पासवान ।

श्री अजय कुमार : मैंने बोला था, मेरी पार्टी कही थी...

अध्यक्ष : श्री सूर्यकान्त पासवान ।

श्री अजय कुमार : एक दिन सबका मिलेगा और आज सामने आ गया...

अध्यक्ष : हो गया, हो गया आपका बैठ जाइए ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय...

श्री अजय कुमार : महोदय...

अध्यक्ष : बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए । सूर्यकान्त पासवान जी बोलिए ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं दिनकर की धरती से आता हूं महोदय । दिनकर जी ने कहा था– ''समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध''...

अध्यक्ष : अभी तो हम ही तटस्थ हैं भाई ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : आज ये पंक्ति...

अध्यक्ष : सूर्यकान्त जी, अभी तो ये पक्ष हैं और ये विपक्ष हैं तटस्थ तो केवल हम ही और आप हैं, मुझे क्यों सुना रहे हैं आप । बोलिए ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, आज ये पंक्ति उन सभी के लिए है जो परिस्थिति को समझ रहे हैं लेकिन चुप हैं । जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं लेकिन लोकतंत्र पर हो रहे हमले को देखकर भी मौन साधे हुए हैं । याद रखिए, अगर हम चुप रहे तो आने वाला समय हमें अपराधी लिखेगा । अध्यक्ष महोदय, बिहार की जनता ने हमें अपना विश्वास दिया है ताकि हम उनके अधिकारों की रक्षा कर सकें, उनका मान–सम्मान बचा सकें, आज मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर एक गहरी साजिश रची जा रही है । दो लोग इस धरती से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर के बिहार के 14 करोड़ लोगों के मताधिकार को छिनने

का प्रयास कर रहे हैं । ''एक बिहारी सौ पर भारी'' यह सिर्फ नारा नहीं है महोदय, यह हमारी पहचान है लेकिन...

अध्यक्ष : अब हो गया ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : आज दो लोग 14 करोड़ बिहारियों को चुनौती दे रहे हैं । हम उन्हें दिखा देंगे कि बिहार को चुनौती देने का अंजाम क्या होता है । यह सिर्फ मतदाता सूची से होगा नहीं...

अध्यक्ष : हो गया, बैठ जाइए ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, यह दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, गरीबों का नाम मतदाता सूची से हटाने का षड्यंत्र है । यह बिहार की लोकतांत्रिक परंपरा को...

अध्यक्ष : समाप्त करिए, सूर्यकान्त जी । श्री अखतरूल ईमान ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : तानाशाही से बदलने की तैयारी है । बिहार में हर साल बाढ़ आती है महोदय...

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूं ।

अध्यक्ष : बोलिए ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, इस गंभीर मुद्दे पर आपने सदन में लोगों को राय के इजहार का मौका दिया है मैं मुबारकवाद देता हूं । एस0आई0आर0 से किसी को इनकार नहीं है, यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार है लेकिन जस्ट इलेक्शन से पहले और 25 दिन की अवधि में तुगलकी फरमान के जरिए से एस0आई0आर0 कराया जाना यह कहीं–न–कहीं केंद्र की भाजपा की सरकार के हथकंडे के तौर पर इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हो रहा है । आज बिहार में 14 परसेंट लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, 2 परसेंट लोगों के पास ही सिर्फ पासपोर्ट है, यहां 70 फीसद गरीबों के बच्चे, दलित जो निर्धन हैं, एस0सी0 हैं, एस0टी0 हैं उनके पास कोई कागज नहीं है और यह तुगलकी फरमान हमें प्रमाण पत्र दिखाने को कहता है । दूसरी तरफ, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं क्या वजह है कि बिहार के दूसरे जिलों में, प्रखंडों में आज वहां पर निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, पारिवारिक सूची बन रही है लेकिन सीमाचंल के चारों जिलों में इनके डी0एम0 ने फरमान जारी कर दिया है, सी0ओ0 अब कहीं भी आर0टी0पी0एस0 के जरिए से हमारा सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है । मैं भाजपा के साथियों को कहना चाहता हूं कि किशनगंज सीमांचल के इलाके में जाते हो तो हमारी दाढ़ी और टोपी देखकर...

अध्यक्ष : हो गया, हो गया ।

श्री अखतरूल ईमान : एक मिनट सर, हमारे मस्जिदों की मीनारों को देखकर आपको लगता है कि यहां भारतवासी नहीं हैं, यह बांग्लादेशी है...

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री अखतरूल ईमान : मैं बताना चाहता हूं कि जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था...

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया । श्री अनिल कुमार ।

श्री अखतरूल ईमान : पाकिस्तान दो टुकड़ा हो गया था । अगर सीमांचल...

अध्यक्ष : श्रीमती ज्योति देवी ।

श्री अखतरूल ईमान : तो भारत भी दो टुकड़ा हो जाता । असम को अगर अखंड भारत में शामिल किया है तो सीमांचल के लोगों ने शामिल किया है...

अध्यक्ष : श्रीमती ज्योति देवी जी बोलिए । आप बैठ जाइए, हो गया आपका ।

श्री अखतरूल ईमान : आप 25 दिन के अंदर में स्पेशल कैंप लगवाइए और हमारे लोगों को...

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बोलने दीजिए । महिला सदस्य बोल रही हैं, बैठ जाइए ।

श्री अखतरूल ईमान : सर्टिफिकेट दिलवाइए । हमें...

अध्यक्ष : महिला सदस्य बोल रही हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

टर्न–3 / सुरज / 24.07.2025

अध्यक्ष : ज्योति देवी जी, बोलिये ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद । आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में जो सर्वेक्षण चला रहे हैं चुनाव आयोग के...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये ।

श्रीमती ज्योति देवी : नवीकरण के ऊपर तो मैं अभी यही कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है वह काफी सराहनीय है क्योंकि कई जगहों पर यह देखा जा रहा है कि एक ही व्यक्ति दो–दो, तीन–तीन जगह नाम जोड़वाकर वोट का दुरूपयोग करते हैं । दूसरी चीज है कि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे राज्य मेंघुसपैठिये लोग हैं जैसे बंगाल है, नेपाल है इत्यादि लोग....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये । दूसरे की बात भी सुना करिये ।

श्रीमती ज्योति देवी : यहां पर बैठकर और नाम जोड़वाने का काम करते हैं और वोट का दुरूपयोग करते हैं । यह स्पष्ट सरकार की नीति है कि जो बाहरी लोग हैं, वह बाहर हो और जो अपने देश के लोग हैं वह अपने मताधिकार का प्रयोग करें । निर्णय काफी सराहनीय है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, चहुमुखी विकास के साथ–साथ और हर समय बिहार को स्वच्छ और सुदंर बनाने का सपना इन्होंने देखा है । उसी प्रकार चुनाव में भी जो दुरूपयोग होता है । माननीय अध्यक्ष

महोदय, हम अपना ही उदाहरण दे दें । मेरे फतेहपुर प्रखंड का बाबुग्राम है और महादलितों को तितर–बितर करके और अपना ही नाम ये लोग जोड़कर, दबंग लोग हैं दो–तीन जगह नाम जोड़कर और नाम जोड़ते हैं और वहां पर वोट का दुरूपयोग करते हैं और महादलितों को वंचित किया जाता है । इसलिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना करती हूं कि जो उनका निर्णय है वह काफी उत्तम निर्णय है और स्पष्ट रूप से मताधिकार का प्रयोग गरीब से गरीब लोग करेंगे । इसलिये मैं अपनी सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री सभी को धन्यवाद देती हूं...

अध्यक्ष : समाप्त करिये अब ।

श्रीमती ज्योति देवी : और कहती हूं कि जो लोग बोलते हैं बोलने दीजिये उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है । बिहार की जनता जान चुकी है कि हमारी सरकार अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, चहुंमुखी विकास कर रही है इसलिये हल्ला करने वाले को हल्ला करने दीजिये और अपना जो मिशन है माननीय मुख्यमंत्री जी...

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी जी ।

श्रीमती ज्योति देवी : उसी पर कायम रहिये । सारे लोग आपकी सराहना करते हैं । आपका चहुमुंखी विकास देखकर...

अध्यक्ष : ज्योति देवी जी बैठ जाइये ।

श्रीमती ज्योति देवी : बिहार गदगद है । इसलिये किसी की परवाह मत करिये हल्ला करने वाले लोगों का....

अध्यक्ष : हो गया, हो गया बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी आपकी इजाजत से, बिहार में जो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है उस पर आपने विभिन्न दलों के नेताओं की राय सुनी है और सदन भी अवगत हुआ है । वैसे तो हमारे पक्ष यानी सत्ता पक्ष के लोगों को आपत्ति हो रही थी जो सदस्य रह–रह कर बोल रहे थे कि चाहे अपनी नियमावली की बात हो या मामला उच्चतम न्यायालय में है इसलिये इस पर चर्चा का औचित्य नहीं है । फिर भी आसन सर्वोपरि है और आपने यह निर्णय लिया और हमलोगों को भी अवगत कराया कि सदन के संचालन में सहूलियत के लिये सभी दल के नेताओं की राय एस0आई0आर0 यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर क्या है यह जान ली जाए तो हमलोगों ने भी सरकार की तरफ से आपत्ति नहीं करके आपके द्वारा जो यह प्रस्ताव सदन के सुसंचालन के संबंध में दिया गया हमलोगों ने भी आपत्ति नहीं की, हमलोगों ने भी अपनी राय प्रकट की ।

मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष कल जब इस बात की शुरूआत कर रहे थे तो पहली ही पंक्ति में उन्होंने कहा कि ये लोग एस0आई0आर के विरोध में नहीं हैं । पहली पंक्ति में कहा और आज जब उसी विषय पर चर्चा को जारी रखते हुये आज जब समाप्त कर रहे थे तो अंतिम पंक्ति उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस बात को देखे या गारंटी दे कि बिहार का कोई सही मतदाता छूटे नहीं । तो उन्होंने भी कहा कि एस0आई0आर0 के विरोधी हम नहीं है और सरकार की मंशा भी वह जानना चाह रहे थे । तो महोदय, हम भी सरकार की तरफ से इस सदन को और बिहार के सभी मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिहार सरकार भी यही चाहती है कि कोई भी सही और वाजिब मतदाता मतदाता सूची से बाहर नहीं जाए । हमारे मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रिपरिषद और सारे सदस्यों की यही इच्छा है कि कोई भी सही और वाजिब मतदाता का नाम आगामी चुनाव को देखते हुये...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांत रहिये, सुनिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : मतदाता सूची से बाहर नहीं जाए । महोदय, कल नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक प्रावधानों की भी चर्चा कर रहे थे कि जो इस संविधान के प्रावधान के तहत भारत का नागरिक 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लेता है उसको मतदाता होने का अधिकार है । सही बात है, संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट है कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और किसी न्यायालीय आदेश से अगर वह बाधित नहीं है तो उसको मतदाता होने का अधिकार है लेकिन वहां पर हमलोगों को एक चीज में गौर करना होगा । यह मतदान का जो अधिकार है और अन्य अधिकार जो है जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें जो समता, समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 में सबसे प्रमुख अधिकार माना जाता है । इसमें संविधान ही थोड़ा शब्दों के हिसाब से फर्क करता है उस फर्क को भी समझना चाहिये कि मौलिक अधिकार जैसे इक्वॉलिटी का जो राइट है समानता, समता का अधिकार वह किसी भी व्यक्ति के लिये है । संविधान कहता है ऐनी पर्सन, किसी व्यक्ति को कानून की नजर में फर्क नहीं किया जायेगा लेकिन जिस प्रावधान का हवाला नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे थे कि कौन आदमी मतदान करने का अधिकारी होगा, उसमें संविधान कहता है किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहता है, उसमें किसी नागरिक की चर्चा करता है ऐनी सिटीजन । मतलब हर व्यक्ति जो यहां रह रहा है वह मतदान का अधिकारी नहीं हो जायेगा, जिसको नागरिकता प्राप्त होती है वही....

(व्यवधान)

हम उसी संविधान की बात कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, सुनिये । सबकी बात सुनी गयी है, सुनना चाहिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इसलिये महोदय, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वह हमलोग भी चाहते हैं कि बिहार का कोई सही नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे और दूसरी बात....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये, सुनियेगा तब न होगा ।

(व्यवधान)

सुन लीजिये पूरी बात, बैठ जाइये । आपकी बात सुनी गयी है न, दूसरे की बात भी सुनिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात...

(व्यवधान)

आपलोग जितना बात बोले हम सब बात को बोलेंगे, सुन लीजिये न । दूसरी बात जो गहन पुनरीक्षण की बात है यह बात भी शुरू से संविधान प्रदत्त या जो लोकप्रतिनिधित्व कानून है आर0पी0 एक्ट, रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है जो 1950 से लागू है उसके तहत भी उसकी विहित प्रक्रिया है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है और...

(व्यवधान)

अब बीच में बोलियेगा, सुन लीजिये न ।

अध्यक्ष : ज्ञान वृद्धि करिये, सुनिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, लगभग 20–25 साल बाद हर जगह यह जो हो रहा है एस0आई0आर0 यानी विशेष गहन पुनरीक्षण । सामान्य पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण में भी फर्क होता है । इसमें फर्क होता है क्योंकि जब....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब साहब बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : क्योंकि जब सामान्य पुनरीक्षण होता है तो सिर्फ जिसमें दावे किये जाते हैं कि जैसे कोई 18 साल का उम्र पा लिया है या कोई मृत है। किसी का नाम इंक्लूड करने के लिये या बाहर करने के लिये जो दावा किया जाता है उसी का निष्पादन होता है । लेकिन जब 20–22 वर्षों पर जैसा नेता प्रतिपक्ष भी जिक्र कर रहे थे (क्रमशः)

टर्न–4 / मुकुल / 24.07.2025

क्रमशः

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : पिछला 2003 में हुआ था और उसके 22 साल के बाद, तो उसमें दो चीज होती है उसमें हाउस टू हाउस सर्वे होता है, एक–एक घर में जाकर देखा जाता है कि उस घर में जो मतदाता हैं वहॉ वह सही में है या नहीं है और महोदय, नेता प्रतिपक्ष आज भी और हमारे अन्य नेतागण भी चर्चा कर रहे थे ।

(व्यवधान)

हम वही कह रहे हैं, बैठिए न।

अध्यक्ष : महबूब जी, बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महबूब जी, अब हम आपके इसी एक महीने की बात कह रहे हैं, एक महीने की बात सुनिये । अध्यक्ष महोदय, हम तो सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि 2003 में भी जो मतदाता गहन पुनरीक्षण हुआ था उसमें भी जैसे इस बार किया गया है जो हाउस लिस्टिंग का, एक महीना ही समय दिया गया था, अब हम डेट बता सकते हैं कि 15 जुलाई 2003 से 14 अगस्त, 2003 यही घरशुमारी की तिथि थी, सिर्फ एक महीना ही दिया गया था और आप अभी अपनी सरकार की बात कर रहे थे हम सभी लोगों ने मिलकर जाति आधारित गणना करवाई थी, हम सब लोगों ने करवाई थी और सब लोगों ने तय किया था लेकिन शायद आप भूल गये कि उसमें जो काम अभी इलेक्शन कमीशन ने एक महीने में किया है उसके लिए हमलोगों ने और आप भी शामिल थे कि सिर्फ 15 दिनों में बिहार में हमलोगों ने घरशुमारी करा दी थी, यह हम ही लोगों ने कराया है, हम तिथि बता सकते हैं 7 जनवरी, 2023 से 21 जनवरी, 2023 तक, 15 दिनों में हमलोगों ने घरशुमारी यानी हाउस लिस्टिंग का काम, घर–घर जाकर सर्वे करने का काम, महोदय, सारे सदन ने मिलकर 15 दिनों में करवाया था और आज यह कमीशन यह कर रहा है । दूसरी बात, जो कमीशन अभी तक किया है वह तो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कर रहा है, महोदय उसने जो आंकड़े बताये हैं वह अब आप बताइये, कह रहे हैं कि अगर वह

गड़बड़ किया है तो जितने मृत लोगों का नाम निकाला है 18 लाख तो आपके हिसाब से क्या मृत लोगों का नाम सूची में रहने दिया जाय ? आप ही बताइये। मृत लोगों का नाम सूची में रहने दिया जाय क्या और जैसे बताया है कि कितने लोग यहां छोड़कर दूसरी जगह चले गये हैं, अगर उनकी पहचान करता है तो आप क्या चाहते हैं कि कुछ लोग दो–तीन जगह के मतदाता बने रहें ? यह भी तो उचित नहीं है । इसलिए ये काम वह कर रहे हैं, महोदय, अब तो दो दिन की बात है, 26 जुलाई को वह तिथि हाउस लिस्टिंग का यानी फर्स्ट फेज जो है इलेक्शन कमीशन का वह खत्म हो रहा है, 1 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होने जा रहा है, 1 अगस्त को जो सूची आयेगी और आपके हिसाब से महोदय, 1 अगस्त से लेकर 1 सितम्बर तक एक महीना का टाइम चुनाव आयोग दे रहा है कि आपको जिस चीज पर आपत्ति है बता दीजिए कि उसमें कौन गलत है, कौन सही है, आप बता दीजिए और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सारे राजनीतिक दलों की जो आपत्तियां आयेंगी उनको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम निष्पादित करेंगे तो अब आपको इसमें क्या आपत्ति है ? आपको लगता है कि कोई छूट गया है तो उसका नाम दे दीजिए वह आपको बता देगा जोड़कर के कि हमने इसको जोड़ दिया है । अगर कोई गलत है तो वह बता दीजिए उसको कटवा देगा, तो इतना जब पारदर्शी तरीके से हो रहा है तो फिर अब बीच में तो रोकने का मतलब होगा जहां डुप्लीकेशन है, कोई दूसरी जगह चले गये, कोई मृत हैं तो सबको दे दीजिए और अध्यक्ष महोदय, एक विशेष बात यह है कि अभी तक न इलेक्शन कमीशन ने, न सरकार ने, किसी ने कोई इस तरह की मंशा नहीं बताई है तब इसको किसी खास समुदाय के तहत घुमा देने का, किसी खास समुदाय को इसके लक्ष्य पर जबरदस्ती डाल देने का, यह क्या औचित्य है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैइ जाइये, बैठ जाइये न ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये मृत जो 18 लाख निकले हैं इसमें तो हर जाति और धर्म के लोग हैं तो इसमें कहां कोई फर्क हो रहा है ? जो नियम के तहत आते हैं, चाहे किसी जाति–धर्म के हैं उसी पर तो कार्रवाई हो रही है महोदय । इसलिए अभी समय है और आपको पता होना चाहिए कि लगभग 98 प्रतिशत मतदाताओं का हिसाब हो चुका है, 90 प्रतिशत, 95 प्रतिशत ने तो फिर से आवेदन डाल दिया है और अब आप बोलिए कि 95 प्रतिशत लोगों ने दे दिया है उसमें तो आपलोग भी शामिल हैं । ये लोग खुद एप्लीकेशन डाल रहे हैं, महोदय, ये लोग अपना–अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं और बाकी पता नहीं किसको कह रहे हैं कि ये बंद कराओ, बंद कराओ, उधर बंद कराओ और इधर

सब अपना रिनुवल करवा लिये । महोदय, यह देखिए, सब लोगों ने अपना डाल दिया है, इसलिए हम कहेंगे कि बहुत पारदर्शी तरीके से हो रहा है और हम फिर सरकार की तरफ से कहते हैं कि आप अगर किसी वक्त ये बता देंगे कि बिहार के किसी वाजिब, सही मतदाता का नाम बिना किसी कारण के मतदाता सूची से काटा गया है, बिल्कुल सरकार उसका संज्ञान लेगी, कमीशन से भी बात करेगी । लेकिन अगर कहीं डुप्लीकेशन है तो उसको जरूर देखना चाहिए और आपलोग तो अपना–अपना करा ही लिये हैं तो दूसरे का भी करवा दीजिए । महोदय, जो 5 प्रतिशत लोग नहीं किये हैं उसकी भी सूची सारे दलों को उपलब्ध करा दी गयी है ।

(व्यवधान)

शकील जी, आप प्रवासियों की सूची दे दीजिए न, प्रवासी की सूची दे दीजिए, सरकार उसको देखेगी । नहीं है तो महोदय यह 95 प्रतिशत कैसे हो गया ? कमीशन अभी तक सारी चीजों को देख रहा है, इसलिए महोदय, अभी तक चुनाव आयोग की कोई कार्रवाई या कोई काम चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया है जिससे उसकी मंशा पर सवाल उठाया जाय इसलिए महोदय, हमलोग तो यही चाहते हैं कि एक एक्सारसाइज, अभ्यास हो रहा है सारे लोग मिलकर सहयोग कीजिए और कोई अगर गलत चीज है तो उसको सही करने में क्या दिक्कत है । अगर सही कोई बात होगी तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेकर सरकार भी आवश्यक पहल करेगी लेकिन बिना किसी कारण के और अभी तो शकील साहब न जाने किस उत्तेजना में क्या–क्या शेर पढ़ गये, आप तो शेर इतना पढ़ दिये कि आसन से भी दो पंक्ति आ गयी। महोदय, हमको भी दो पंक्ति याद आ रही है, आपकी इजाजत हो तो हम सुना देना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : बोल ही दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय,

''ये कुर्सी से गम जब करते हैं, कुछ कह न सकूं, चुप रह न सकूं ।
खामोश रहूं नामुमकिन है और कह दूं तो शिकायत होती है।''

इसलिए महोदय, हम सारे सदन से अनुरोध करते हैं कि सब लोग मिलकर यह जो एक अच्छा अभ्यास, एक्सरसाइज चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, यह नियमित होता आया है और समय भी हमने बता दिया है बराबर आप टाइम फ्रेम कह रहे थे जो आपने 15 दिन में करवाया है वह

इलेक्शन कमीशन 1 महीने में करा रहा है । इसलिए महोदय, सब लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए ।

अध्यक्ष : श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : आप एक मिनट रुक जाइये, श्री सम्राट चौधरी जी को बोलने दीजिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विजय बाबू ने लगभग सरकार की ओर से जवाब दे दिया है । मैं बस एक–दो जानकारी देना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट है एस0आई0आर0 के माध्यम से जो बार–बार प्रश्न उठा रहे हैं, विजय जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर एक–एक प्रक्रिया को बताने का काम किया है और जहां तक नेता विरोधी दल ने कल बताया कि वोट का राज मतलब छोट का राज, यह कोई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने नहीं कहा है । ये लोहिया जी ने 60 के जमाने में कहा था

...क्रमशः...

टर्न–5 / यानपति / 24.07.2025

(क्रमशः)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : और लोहिया जी ने समाजवाद की परिभाषा में इन सारी चीजों को जनता के बीच में रखा है और जहां तक यह कहते हैं तो लालूजी की बात यही लोग नहीं सुन रहे हैं । 1992 में इसी सदन में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने कहा था कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर ले जाना है । यह हमलोग नहीं कह रहे हैं, यह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद जी उनका वक्तव्य है और 2005 में भी ममता बनर्जी जो उस समय संसद की सदस्य हुआ करती थीं उन्होंने इस तरह का बयान दिया और लगातार इस चीज की चर्चा हो रही है । लेकिन एक जानकारी भी देना चाहता हूं, महबूब साहब और शकील साहब बार–बार कह रहे हैं कि जो हमारे प्रवासी बाहर जाते हैं उनकी गिनती नहीं हो रही है । विजय जी ने आपको बताया कि लगभग 18 लाख 66 हजार से अधिक लोग मृत पाये गये । उसके साथ–साथ 26 लाख लोग जो बाहर गए हैं उनको भी चिन्हित किया गया है, ऐसा नहीं है और यह मैं बताते हुए स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारा जो श्रम विभाग का भी रिपोर्ट है जहां 2005 में बिहार के लोग 11 परसेंट बिहार से बाहर जाते थे, जो नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि करोड़ों लोग बाहर जाते थे, जाते थे, आज की रिपोर्ट है कि यह 2 परसेंट से भी नीचे लोग चले गये हैं आज बिहार में लोग

रह रहे हैं और अभी तो 26 लाख लोग ही चिन्हित हुए और आपको यह मैं बताना चाहता हूं जो सरकार...

(व्यवधान)

देखिए, यह इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन ने, कल तक नेता विरोधी दल कह रहे थे कल इसी सदन में कह रहे थे, इसी सदन में...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठिए, बोलने दीजिए, उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपलोग बैठिए । उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, बैठिए ।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये, सबकी बात सुनिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : कल तक इसी सदन में नेता विरोधी दल कह रहे थे कि भारत निर्वाचन आयोग कोई प्रेस रिलीज नहीं करता है, वह पूरी तरह स्पष्ट है इसलिए एस0आई0आर0 के मामले में ये लोग जो बार–बार अपनी बात रख रहे हैं इसमें कहीं सत्यता नहीं है और स्पष्ट तौर पर पूरी प्रक्रिया विजय चौधरी जी ने बताई है इसलिए सरकार स्पष्ट है, किसी अतिपिछड़ा, दलित समाज, पिछड़ा, सवर्ण समाज किसी का भी वोट कटने वाला नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आज बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस है, सी0ए0जी0 का रिपोर्ट ले करना है, पहले उसे ले लेता हूं ।

(व्यवधान जारी)

छोड़ दीजिए, बैठ जाइये प्लीज । मैं अनुमति नहीं देता हूं । बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय मंत्री जी, बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

पहले उसे लेता हूं, फिर प्रश्न होंगे । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

(व्यवधान जारी)

बैठिए–बैठिए । सब लोग बैठिए । उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष–2023–24 के ''राज्य के वित्त'' प्रतिवेदन को माननीय राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूं ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक–लेखा समिति का प्रतिवेदन यथासमय सदन में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष–2023–24 के ''राज्य के वित्त'' प्रतिवेदन को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष–2023–24 के ''राज्य के वित्त'' प्रतिवेदन को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–211 के तहत प्रत्यायुक्त विधान समिति का कृषि विभाग से संबंधित दशम् प्रतिवेदन एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एकादश प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, बैठ जाइये । माननीय सभापति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग बिना अनुमति के नहीं बोलिये ।

श्री शकील अहमद खाँ : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–211 के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति की अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

बोलने दीजिए, बैठिए । आपको बोलने दिया, अब नहीं । कोई अनुमति नहीं होगी, आप बोल चुके हैं, बैठिए । आपको बोलने का अवसर दे दिया है मैंने , अब पोस्टर लेकर ऐसे मत करिए । पोस्टर हटाइये ।

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम–211 के तहत बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 227वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री दामोदर रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का ऊर्जा विभाग से संबंधित 350वां एवं 356वां प्रतिवेदन तथा पथ निर्माण विभाग से संबंधित 348वां एवं 351वां प्रतिवेदन की एक–एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सभापति, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ।

(व्यवधान जारी)

श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम–211 के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति की राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर जाइये, दुबारा आपलोग वेल में क्यों आ गए ? दुबारा आप वेल में आइयेगा तो इससे आपका चरित्र उजागर होता है ।

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

---

XXX- आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित किया गया ।

---

टर्न–6 / अंजली / 24.07.2025

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या–44 है । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है ।

अतः किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान हो सकता है । मैं मांग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग को लेता हूं । जिस पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा किया जाएगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगाः–

| | |
|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी | – 59 मिनट |
| राष्ट्रीय जनता दल | – 57 मिनट |
| जनता दल यूनाइटेड | – 33 मिनट |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | – 14 मिनट |
| सी0पी0आई0 (एम॰एल॰) | – 08 मिनट |
| हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा | – 03 मिनट |
| सी0पी0आई0 (एम॰) | – 02 मिनट |
| सी0पी0आई0 | – 02 मिनट |
| ए0आई0एम0आई0एम0 | – 01 मिनट |

निर्दलीय — 01 मिनट

..............................................

कुल = 180 मिनट

..............................................

माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''समाज कल्याण विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2025 के उपबंध के अतिरिक्त 10194,02,75,000/– (दस हजार एक सौ चौरानवे करोड़ दो लाख पचहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो व्यापक है और जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं ।

अतः माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें । चार मिनट का समय आपके पास है ।

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मांग 10/–रुपये से घटायी जाय ।''

महोदय, एक कहावत है गांव में कि समाज का छूटा हुआ व्यक्ति और डाल का छूटा हुआ बंदर इसका महत्व ही समाप्त हो जाता है ।

महोदय, प्रथम पाली में जो चर्चाएं हुईं, उसमें सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया, तो उसके बाद मेरे मन में यह बात कुरेद रही थी कि आपने सरकार को और चुनाव आयोग को निष्पक्ष बतलाया लेकिन क्या यह बात सच नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने...

अध्यक्ष : कहां चले गए आप ?

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, मैं आ रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं ? आप लोग नहीं बोलिए, बैठे–बैठे नहीं बोलिए, प्लीज । आप कहां चले गए ?

श्री अजय कुमार सिंह : जी, मैं वहां आ जाता हूं । सिर्फ एक मिनट...

अध्यक्ष : मैं क्या करूं, आपके पार्टी के नेता ने खुद बोलने का काम किया, आपको बोलने नहीं दिया तो मेरा क्या दोष है इसमें, आप बताइए । दोहराइए नहीं न, ऐसा नहीं करिए ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । क्या यह बात सच नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है । क्या यह बात सच नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो आप गहन पुनरीक्षण करा रहे हैं यह समय ठीक नहीं है । क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा कि आप जो 11 बिंदु लाए हैं इसके संबंध में मेरे पास भी अगर कागजात नहीं होंगे...

अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव पर बोलिए न, किस बात के लिए कटौती प्रस्ताव दिये हैं ?

श्री अजय कुमार सिंह : तो मैं भी मतदाता नहीं रह सकता ।

अध्यक्ष : किस बात के लिए कटौती दिये हैं ? समय आपके पास नहीं है ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि आप आधार कार्ड, ईपिक और राशन कार्ड पर विचार करें, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसी बातें कहीं हैं तो क्या चुनाव आयोग संदेह के घेरे में नहीं है, इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इन्होंने एक पंक्ति नहीं कही । क्या यह सही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके द्वारा जो वहां याचिका दाखिल की गई थी कि एस0आई0आर0 रोक दिया जाय उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना । यह क्या सही नहीं है ?

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः इसको करेक्ट करना चाहता हूं कि किसी याचिकाकर्त्ता ने इसको रोकने की बात कही ही नहीं ।

अध्यक्ष : ये सवाल–जवाब नहीं, अपनी बात कहिए न, केवल एक मिनट समय आपका बचा है । अजय बाबू, केवल एक मिनट समय बचा है बस ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, एक मिनट तो हमारा संसदीय कार्य मंत्री जी ने ले लिया ।

अध्यक्ष : नहीं, उन्होंने आधा मिनट ही लिया है । आप बोलिए ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, कहने का मतलब यह है कि क्या यह सदन सुप्रीम कोर्ट के इस संदेह के साथ नहीं है, यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यह पूरे सदन को तय करना चाहिए और जहां तक सवाल है, आपने विषयवार बात कहने को कही है तो जो यह प्रस्ताव लाया गया है प्रथम अनुपूरक बजट, इसको तो माननीय मंत्री जी ही कहते हैं कि हमारी बात कोई अधिकारी सुनते ही नहीं, वे घर जाकर बैठ जाते हैं, महोदय, जब भी बजट बनता है, तो उस विभाग के अधिकारी, उस विभाग के मंत्री के साथ विचार–विमर्श होना चाहिए ।

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करिए । आपका समय पूरा हो गया ।

माननीय नेता विरोधी दल ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके पक्ष में हम बोलेंगे । बीस साल से बिहार में एन0डी0ए0 की सरकार है, 11 साल से केंद्र में एन0डी0ए0 की सरकार है और इस एन0डी0ए0 सरकार का बीस साल से नेतृत्व आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और हमलोगों को इनके प्रति बहुत ही सहानुभूति है लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, हमलोगों ने अमित शाह जी का बयान देखा, बड़ा आर्टिकल में छपकर आया था । चुनाव तक तो मुख्यमंत्री जी ही नेतृत्व करेंगे लेकिन चुनाव के बाद समय बताएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा, यह तो लंबा–चौड़ा हमलोगों ने देखा है । आखिर क्या कारण है कि अमित शाह जी को अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है । अगर भरोसा है तो अमित शाह जी अभी आने ही वाले हैं सीतामढ़ी, सीतामढ़ी में ऐलान कर दें कि यही होंगे 2025 से 2030 तक एन0डी0ए0 के मुख्यमंत्री का चेहरा । हालांकि अब रिपीट होने वाला नहीं है, महोदय, अब सरकार भी इजाजत नहीं देती है कि खटारा गाड़ी 15 साल से ज्यादा चलाई जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये, शांति बनाये रखिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल से ज्यादा की इजाजत नहीं देती है, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का । इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी ।

महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हम इसलिए बोल रहे हैं, 20 साल से इनका नेतृत्व...

(व्यवधान)

फिर वही बात ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहेंगे कि जिसको आप खटारा कह रहे हैं, जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिये, मुख्यमंत्री उसी को आज नये ढंग से सजाकर के फुल स्पीड में गाड़ी लेकर चल रहे हैं, इनके पिताजी के ऊपर ध्यान रखें । मुख्यमंत्री जी तो सब जिला दौड़कर प्रगति के कई आयाम तैयार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल, बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय जी, हम इनकी पीड़ा को समझते हैं । लखीसराय में एक केन्द्रीय मंत्री हैं जो इनको जीने नहीं देते हैं और सम्राट चौधरी जी का हाइट इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री रहते तो ये पीछे–पीछे बौना जैसा रहते तो ये अपना खुन्नस सदन में उतारते हैं । लालू जी ने आपका क्या बिगाड़ा है, जो बिगाड़ रहे हैं उधर कहिये न । कुछ दिन पहले तो एन0डी0ए0 की बैठक में पीछे चौधरी जी और आप लोग क्या कर रहे थे भाई । खैर हम इनके...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल, एक मिनट ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम ज्यादा भांडा फोड़ नहीं करेंगे ।

टर्न–7 / पुलकित / 24.07.2025

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल, मेरा एक आग्रह है कि....

(व्यवधान)

मुझे बोलने दीजिए । मेरा एक आग्रह है कि आप लोग शांत रहिये । आप अभी नेता विरोधी दल है संयोग से मुझे भी वहां ढाई साल रहने का अवसर, मौका मिला है लेकिन मैं इतना जानता हूँ ।

(व्यवधान)

बैठिये, शांत रहिये । मैंने भी वहां ढाई साल अपना समय बिताया है और मैं मानता हूं कि तीखी–तीखी बात कहने का अधिकार नेता विरोधी दल को है लेकिन यह भी है कि ढाई साल वहां रहने के बाद अगर भाषा का संयम हो तो तीखी–तीखी बात कही जा सकती है । मेरा आपसे आग्रह हैं कि आप एक बड़ी पार्टी के नेता हैं तो थोड़ा सा व्यक्तिगत आक्षेप के बजाय नीतिगत विषय पर भी बात कहेंगे तो सबको अच्छा लगेगा ।

(व्यवधान)

छोड़ दीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बात सुनी जाए । नेता प्रतिपक्ष बहुत सच को कहे कि इनके माता–पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हम तो शिक्षक पुत्र हैं, हम तो जमीन से उठकर के आये हैं । ये तो सोने की चम्मच लेकर के चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले लोग हैं । इनकी तुलना हमसे कैसे होगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं आग्रह कर रहा हूं कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिये, वही शुरू कर रहे हैं।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अनुकम्पा की राजनीति वाले से हमारी तुलना कैसे हो सकती है । हम तो सचमुच में हल्के और साधारण लोग हैं ।

अध्यक्ष : अब हो गयी आपकी बात । नेता विरोधी दल आप बोलिये ।

(व्यवधान)

यह जो बात मैंने कही है केवल इनके लिए नहीं है बल्कि सब के लिए कहा है, सब लोग इस बात का ध्यान रखें भाषा की मर्यादा का पालन सब लोग करें केवल एक आदमी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं सबसे आग्रह करता हूं।

(व्यवधान)

सबसे आग्रह कर रहा हूं यह आपको मालूम नहीं होता है । नेता विरोधी दल आप बोलिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश मिल गया है ज्यादा भांडा–फोड़ नहीं किया जाएगा लेकिन हम सब लोग चिंतित हैं बिहार को लेकर के, बिहार की प्रगति को लेकर के । नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य है, बिहार सबसे बेरोजगार, बिहार से सबसे ज्यादा

पलायन, बिहार में न कारखाना, न निवेश, न उद्योग और न धंधा । चिकित्सा, शिक्षा सबसे नीचे स्तर पर है, प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में सबसे कम, स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में सबसे ज्यादा है। महोदय, 20 साल हो गये हैं अभी प्रधानमंत्री जी आये बोले चीनी के मिल पर लेकिन वे अब तक चीनी का मिल नहीं चालू करा पाये हैं । वहां के लोग चाय बनाकर के इंतजार कर रहे थे, बिना चीनी की चाय बनाकर के कि प्रधानमंत्री जी आयेंगे तो कम से कम उस चाय में चीनी तो मिलाकर उन्हें पिला देंगे । चीनी मिल बंद, जूट मिल बंद...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठ जाइये । ऐसे नहीं करिये, हो गया । हर बात में नहीं बोलिये। आपको जब अवसर मिलेगा तब बोलियेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आप बैठ जाइये न । जब आपका समय आयेगा तब बोलिये । व्यवहारिक रहिये ।

अध्यक्ष : आपकी पार्टी को जब बोलने के लिए अवसर मिलेगा तब बोलियेगा । नेता विरोधी दल, आप बोलिये, जारी रखिये अपना वक्तव्य ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, फिर कोई बोलने नहीं दे रहे, सत्ता पक्ष से फिर वही शोरगुल हो रहा है ।

अध्यक्ष : वे बिना माईक के बोल रहे हैं आप वहां कहां ध्यान देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने देख लिया, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को हम लोगों ने देख लिया । बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का क्या हुआ वह भगवान भरोसे ? स्पेशल स्टेट का तो मुख्यमंत्री जी अब आंदोलन करेंगे ही नहीं क्योंकि अब तो साथ ही हैं । अब तो खुद इनको दे देना चाहिए इतनी बड़ी पार्टी है । बिहार को चंद्रबाबू नायडू जी से कम से कम सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने राज्य में पैकेज ले जाते हैं, कैसे हम अपने राज्य को विकसित कर रहे हैं, कैसे एस0आई0आर0 पर खुलकर के बोल रहे हैं । हिम्मत, जिगर वाला हमें बिहार का ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो अचेत अवस्था में न हो, जो हिम्मत वाला हो, जो दिलेर हो, जो बिहार के लिए काम करे । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम पूरा सम्मान करते हैं और

आगे भी करते रहेंगे । जो लोग आपके बगल में बैठे हैं वे आपका कभी भला नहीं चाहते, हम आपको सचेत कर रहे हैं और आपके आस–पास के जो लोग हैं, तीन–चार लोग वे हाथ मिला लिये हैं भाजपा से, यह बात आप याद रखियेगा समय आयेगा तो आप यह बात जरूर हमको बोलियेगा । अब लोग चर्चा करते हैं कि जदयू अब जदयू नहीं रह गयी है भाजपा का प्रकोष्ठ बनकर के रह गयी है ।

अध्यक्ष महोदय, यहां मुख्यमंत्री जी हैं, हमलोगों ने कभी भी नहीं देखा और अभी भी नीति आयोग की बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक में नहीं गये, क्यों नहीं गये ? बिहार के विकास के लिए, डेवलेपमेंट के लिए हर राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे । इन्वेस्टर मीट होता है उसमें मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं आखिर कारण क्या है? पूरी तरह से इनको हाईजैक लोगों ने कर रखा है इनको खुलकर के काम करने नहीं दिया जाता और चौधरी जी से हम कहेंगे कि थोड़ा अच्छे से मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ तो हरेक सब्जेक्ट के बारे में कर दीजिये ।

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल, मुख्यमंत्री को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, इसका भरोसा रखिये । आप अपना भाषण जारी रखिये । जारी रखिये अपनी बात ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, यह बिहार की जनता बोल रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अब हर मामले में बिहार, हम पूछना चाहते हैं सरकार में बैठे हुए लोगों से एक चीज बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर वन हो । एक चीज में बता दीजिए जिसमें बिहार नंबर वन हो । किसी चीज में नहीं, पेपर लीक होता है, लगातार अंधाधुंध बिहार में गोलियां चलाई जा रही हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का क्रीमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरे बिहार में । अध्यक्ष महोदय, आप देखियेगा कि सरकार के पास न कोई विजन है, न कोई रोडमैप है । कोई विजन और कोई रोडमैप नहीं है कि अगले पांच साल अगर इनको फिर से मौका मिले तो ये बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे ? अब हम इस सरकार को यही कह सकते हैं कि अब यह सरकार नकलची सरकार बनकर के रह गयी है । 2020 में सबसे पहली बार हमने बोला था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे तब हमारे चाचा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी कहते थे कहां से लायेगा पैसा ? अपने बाप के पास से पैसा लायेगा ? असंभव है । लेकिन 17 महीने जब हम साथ थे तो हमलोगों ने उस काम को करके दिखाने का काम किया विदाउट एनी पेपर लीक ।

(व्यवधान)

अद्‌भुत है, अब पेपर लीक कैसे रूकेगा बिहार में ? इनकी जब भाजपा आती है तब पेपर लीक होता है और हमने उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का बयान सुना, ये तो मानते ही नहीं हैं कि पेपरलीक आजतक बिहार में हुआ है तो पेपर रद्द क्यों होता है ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : वह आप अपने समय में बताइये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : नहीं सुनिये, इस तरह का बयान मत दीजिए । यदि हमने कहा तो प्रूफ दीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आप ही न बोले थे ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : बताइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अभी मोबाईल में दिखा दें ?

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : दिखाइये । सिर्फ दिखाना नहीं होता ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : और क्या सबूत चाहिए ?

(व्यवधान)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : आप बताइये तो किस मामले में हुआ ? मामला क्या है? किस तरह का मामला है ? वही तो जानना चाहते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : ठीक ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : ऐसे बोलने से नहीं होता है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः यानी आप बोले हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है आजतक ?

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : एकदम नहीं हुआ है । बताइये । आप बताइये ।

(व्यवधान)

सिर्फ ऐसे करने से क्या होगा ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः आप हमारा काम कर दिए । आपने हमारा काम कर दिया ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : आप बताइये । आप क्या काम कराइयेगा । आपको पता ही नहीं है बिहार में....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः जब सरकार मानती नहीं है कि पेपर लीक हो गया....

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : आपको बताना तो चाहिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः तो घोटाले बाजों को यानी संरक्षण दे रहे हैं...

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : बेचारे को पता ही नहीं है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : पेपर लीक वालों को संरक्षण दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप अपनी बात जारी रखिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः ये बेचारा आपको बेचारा बना दिये हैं यह तो दिख ही रहा है । खैर छोड़िये, अब तो चौधरी जी बोलेंगे कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ आजतक । खैर, वह अलग बात है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आप हमको क्यों बार–बार कहते हैं ? महोदय, हम ही को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को सही सलाह दीजिए, इनको लोग हाईजैक कर रहे हैं । महोदय, जब आप साथ में थे तब भी हम साथ में थे और आप भी हाईजैक करने की कोशिश किये लेकिन कहां हाईजैक कर पाये । हम तो इसके गवाह हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है यह हम लोगों ने देखा है ।

अध्यक्ष : आप अपनी बात जारी रखिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः आप तो कुछ भी बोल दीजियेगा । मुंह है तो कुछ भी आदमी बोल सकता है लेकिन मुख्यमंत्री जी यही बोलकर के आये थे कि हमारे दल को तोड़ रहा है । सोचिये, ऑपरेशन लोटस चल रहा है । खैर, इस पर हमको कुछ कहना नहीं है ।

(क्रमशः)

टर्न–8 / अभिनीत / 24.07.2025

(क्रमशः)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, विषय पर आते हैं । हम यह कह रहे थे कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है और न ही कोई रोड मैप है । यह सरकार नकलची सरकार है । हमलोगों ने रोजगार की बात की तो

अब रोजगार की बात हो रही है । मैंने खुद बिहार भर घुम कर के गांव की महिलाओं से मिलें तो यही सुनने में आता था कि बाबू खाली 400 रुपये पेंशन मिल रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ऐसे डिस्टर्ब होते हैं । थोड़ा आर्डर में लाईये, संरक्षण दीजिए महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सबलोग शांत रहिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : यह नकलची सरकार, अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि 1500 रुपये अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन बढ़ायेंगे । अब सरकार राज्य कल्याण....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ये क्या हो रहा है ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलने दीजिए । महोदय, दो बार ये उप मुख्यमंत्री रहे हैं एक भी योजना विकास के लिए अगर इन्होंने शुरू किया हो, एक भी योजना और ढाई साल उप मुख्यमंत्री रहे हैं । जो बोल रहे हैं कि नीतीश जी ने क्या किया, नकल कर रहे हैं । ढाई साल एक भी योजना अपने विकास में किये हों तो बतायें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांत रहिए । शांत रहिए, बोलने दीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : चलिए, तेजस्वी आगे–आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे–पीछे रहती है । इसी बहाने हमारे गरीबों का भला तो हुआ लेकिन हम बोले 1500 और ये किये 1100 । 1500 ही कर देते, क्या दिक्कत है । अध्यक्ष महोदय, पूरा बिहार घुम कर हम बोले कि हमारी सरकार आयेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे । मुख्यमंत्री जी गवाह हैं, इसी सदन में आपने बोला था कि नहीं बोला था ? बिजली मुफ्त में नहीं देनी चाहिए भले कम कर दिया जाय लेकिन मुफ्त में बिजली नहीं देनी चाहिए । आप सबलोग वहां हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है । सबलोगों ने वह रिकॉर्डिंग देखा होगा । आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको अपनी बात से पलटना पड़ा, किसकी वजह से, तो हम ही ने कहा कि 200 यूनिट । आपलोग कभी बोले 200 यूनिट ? अभी कितना है 125 यूनिट, तो हम बोले 200 यूनिट तो ये लोग किये 125 यूनिट । क्यों नहीं 200 या उससे ज्यादा ही कर देते । चलिए, इसी

बहाने बिहार के लोगों का भला तो हुआ । हम जानते हैं कि बिजली मंत्री इसके खिलाफ थे, अड़े हुए थे । इनको पूरा मनाया गया है और यह अभी भी नहीं चाहते हैं कि बिजली फ्री हो ।

अध्यक्ष महोदय, अब हमने बोला कि युवा आयोग का गठन करेंगे तो यह सरकार तुरंत कैबिनेट में चली जाती है कि युवा आयोग का गठन करेंगे । सम्राट चौधरी जी बैठे थे, हम बोले कि आप मेरा सारा चुनाव का मुद्दा छीन रहे हैं भाई । अब हम चुप रहेंगे, अब हम क्या करेंगे नोटिफिकेशन के बाद ही हम ऐलान करेंगे । करने के लिए तो बहुत कुछ है । अध्यक्ष महोदय, अब देखिए हमने कहा कि माई–बहिन मान योजना लायेंगे । माई–बहिन मान योजना लायेंगे, हर महिलाओं के खाते में ढाई हजार रुपये प्रति माह हमलोग देने का काम करेंगे । महंगाई इतनी है । मोदी जी इतनी महंगाई कर दिए हैं । कहीं जाइये हर चीज महंगी हो गयी है, तो उनको कम–से–कम आर्थिक न्याय के जरिए हमलोग उन महिलाओं के खाते में देंगे । अध्यक्ष महोदय, यह सदन गवाह रहेगा, देखिएगा आने वाले समय में ये माई–बहिन मान योजना की भी चोरी करने का काम करेंगे ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य राम सिंह जी बैठिए ।

जारी रखिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : चलिए, हमको अध्यक्ष महोदय, क्रेडिट नहीं चाहिए । सारा क्रेडिट हम नीतीश जी को देने के लिए तैयार हैं । सबकुछ इन्हीं का किया हुआ है । कैबिनेट है, सब तो वही कर रहे हैं लेकिन विजन किसका है ? यह किसने बोला है, तो आपलोग पीछे–पीछे कर रहे हैं अच्छी बात है । एक करोड़ रोजगार देंगे, एक करोड़ रोजगार यानी मोदी जी वाला रोजगार कि पकौड़ा तल कर खाओ । यह भी रोजगार की परिभाषा है, मोदी जी ने बोला है भाई, मोदी जी असत्य बोलते हैं, नहीं बोलते हैं न । आपलोग कितने लोगों को पकौड़ा तलवाइयेगा या क्या करवाइयेगा, भूंजा बेचवाइयेगा, यह तो भगवान जाने लेकिन कम–से–कम इतना तो स्वीकार आपलोगों को करना चाहिए । आपलोग बुजुर्ग हैं भाई, हम सब छोटे हैं उम्र में, कम–से–कम शाबाशी तो देनी चाहिए कि हां भाई तेरा विचार अच्छा है । इतना तो आगे बढ़ाने के लिए कीजिएगा न । देखिए अध्यक्ष महोदय, हमलोग चाहते हैं कि बिहार का भविष्य जो है बेहतर हो लेकिन नकलची सरकार है । आज विजय

चौधरी जी बोल रहे थे कि हम ही लोगों ने जातीय आधारित गणना कराया । उसमें हम भी थे, आप थे...

(व्यवधान)

नहीं आप इधर–उधर देख कर कह रहे थे । आपके दोनों तरफ वे लोग थे । इसमें उनकी क्या भूमिका है ? हम ही लोगों की न भूमिका है और हमलोगों का एजेंडा था न ? किये हमलोग 17 महीने वालो ने और बिगाड़ दिये कौन लोग, आरक्षण कौन लटका दिये 65 परसेंट ? कौन लोग शिड्यूल–9 में उस आरक्षण को नहीं डालें ? और जितनी नौकरी अभी निकल रही है, बताइये पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी लोगों को नौकरी में हजारों की संख्या में नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है ? इसका जवाब आपलोगों को पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देना होगा । हम अभी भी कहते हैं कि लाइये प्रस्ताव 65 की जगह 75 परसेंट कर दीजिए और 10 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0 का 85 परसेंट और चलिए बोलिए मोदी जी को कि शिड्यूल–9 में डाला जाय । हमलोग समर्थन करेंगे लेकिन आपलोग 10 महीने, हमलोग प्रेस–काफ्रेंस साथ में ही न किये थे कि भाई हमलोग जान रहे थे कि भाजपा जो है कोर्ट–कचहरी जाकर के इस आरक्षण को फंसाने का काम करेगी तभी न हमलोग प्रेस–कांफ्रेंस किये थे और शिड्यूल–9 की मांग किये थे लेकिन क्या हुआ उस आरक्षण का ?

जातीय आधारित गणना का आपने बजट बनाया है क्या उसके अनुरूप बनाया है, आप बताइये ? उस रिपोर्ट को तो आप फेंक दिए कूड़ेदान में, क्योंकि आपके पास बीजेपी के लोग आ गये । आज हम होते तो वह कूड़ेदान में नहीं न होता, आरक्षण नहीं न फंसता, तो यह बात महोदय, हमको लगा कि आपलोगों को याद दिलाने की जरूरत है । स्पेशल स्टेट का पैकेज तो छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी, अब तो सब नेता लोग आ रहे हैं बिहार, बिहार में चुनाव है लेकिन आप यह देखिएगा कि एक बार भी बिहार के लिए वो क्या करेंगे, बेरोजगारी का ब नहीं निकला मुंह से, महंगाई का म नहीं निकला, पलायन का प नहीं निकला, न सूगर मिल के बारे में बात किये, न कारखाने की बात किये, बताइये ईमानदारी से, बिहार सरकार से हम जानना चाहते हैं कि गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला ? खाली दो स्टेट का बता दीजिए । कंपेरिजन करके देख लीजिए कि बिहार को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है । केवल वही पैकेजिंग हो रहा है, हर चीज हो रही है । केवल ठगने का...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग अपने नेता को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ? अपने ही नेता को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं । बोलने दीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी आये तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि रेलवे का इंजन अब बिहार में बन रहा है, विदेश जायेगा, वह रेलवे का कारखाना कौन लाये ? लालू जी ने ही न लाये । आज देशभर में रेलवे का पहिया बन रहा है, रेलवे दौड़ रही है तो पहिया का कारखाना कौन लाया ? लालू जी ने न लाये और कौन लाये । मधेपुरा में हो, मढ़ौरा में हो, यह कौन लाये ? पहिया कारखाना हो या इंजन का हो यह तो लालू जी की देन है, तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से लालू जी की तारीफ क्यों नहीं निकली । वह तो प्रधानमंत्री जी की देन नहीं है । जो इंजन बनकर विदेश जा रहा है तो वह तो लालू जी की देन है, इस पर तो उनको बताना चाहिए था, तो कुछ नहीं । आज अच्छा है कि हमलोगों का इस सत्र का इस सदन में अंतिम भाषण ही है लेकिन एक बात है परिवारवाद के खिलाफ तो लोग बहुत बोलते हैं कि नेशनल दामाद एलायंस या नेशनल दामाद आयोग । उधर मांझी जी के दामाद जी फिट हो गये हैं, इधर अशोक चौधरी जी के तो आर0एस0एस0 कोटा से हुए हैं और...

...क्रमशः...

टर्न–9 / हेमन्त / 24.07.2025

(क्रमशः)

श्री तेजस्वी यादव, नेता विरोधी दल : चिराग पासवान जी के जीजा हो गये। क्या बात है ? अब प्रधानमंत्री जी को परिवारवाद नहीं दिख रहा, अब परिवार पर ज्ञान नहीं दीजिएगा। अब तो आपको बताना होगा कि आपकी सरकार में नीतीश कुमार जी के रहते हुए आर0एस0एस0 कोटा भी चल रहा है। अब आने वाले समय में कौन–कौन, किसको–किसको टिकट मिलेगा, कौन–कौन मंत्री होगा, कौन–कौन आयोग का मेम्बर होगा, यह तो बिहार की जनता जानना चाहती है। बताना चाहिए कि आखिर क्या सच्चाई है, यह नेशनल दामाद आयोग बोला जाय कि नहीं बोला जाय या नेशनल दामाद अलायंस ही बोल दीजिए। क्योंकि सब दामाद लोग तो एक ही साथ आ गये हैं । तो सब दामाद लोगों का अलायंस हो गया है। महोदय, यही एनडीए की परिभाषा है। इस सरकार को क्या लेना देना। कोई मतलब नहीं है, विकास से मतलब नहीं है । बस कुर्सी बचाओ, सेटिंग करो, जोड़–तोड़ करो, ईडी, सीबीआई लगाओ, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करो।

अध्यक्ष महोदय, पहले होता था कि वोटर सरकार चुनती थी, आजकल सरकार वोटर को चुन रही है, यह सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, यह हालात हो गये हैं। एसआईआर पर आप बोल रहे थे, जब विजय चौधरी जी बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता जी बोल रहे हैं। हूबहू, कुछ अलग नहीं बोले। वह आज तक प्रेस कांफ्रेंस नहीं किये। इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है 2003 के बाद। सामने नहीं आये। प्रेस नोट भेज रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि चौधरी जी ज्ञानेश गुप्ता बनकर हमारे सदन में आ गये हैं और वही प्रेस नोट को पढ़ रहे हैं, ऐसा ही लग रहा था। अब तो लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। पूरा ऐसा लग रहा है कि कोई–न–कोई बात है।

अध्यक्ष : आप ही न सबको काला पहनवा दिये हैं। तीन दिन से एक ही कुर्ता सब लोग पहने हुए हैं।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : दिखाने के लिए। प्रोटेस्ट का सिम्बल है काला। बहुत अच्छे से आपने जलेबी उतारी। जलेबी ही न उतार रहे थे। इंटरेस्टिंग यह है कि आपकी जलेबी की काट जलेबी ही लाये। ''पुनरीक्षण के गणना प्रपत्र पर देवघर में बिक रही जलेबी।'' बड़ी ईमानदारी से काम हो रहा है। जो प्रोसेस है, अंगूठा मार रहा है बीएलओ, साईन कर रहा है, वोटर को पता ही नहीं कि उसका फार्म जमा हुआ कि नहीं हुआ। वह भी बिना डॉक्यूमेंट के। केवल टार्गेट पूरा करना है कि हमको 25 दिन के अंदर 99 परसेंट सुप्रीम कोर्ट में दिखा देना है। सत्यापन कैसे हो रहा है आप सब लोग जान रहे हैं। किसी से छिपा है ? लेकिन जब आप बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि आप जमीन पर नहीं हैं। जमीन के हालात, चौधरी साहब माफ कीजिएगा, न आपको न सरकार को पता है। अगर पता है, तो आप लोग पूरी तैयारी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कर लिये हैं। यही दो बात हो सकती है। अब यह देखिये सबका फॉर्म फेंका

हुआ है इधर–उधर। इनका चकाई कहां है जमुई में ? अच्छा ठीक है। पटना में फ्लाई ओवर में सत्यापन बहुत पारदर्शिता से हो रहा है। आप तो बहुत अच्छे से बोल रहे थे,

यह आप लोगों को नहीं दिखता है ? अधिकारी नहीं दिखाता होगा, हम समझ सकते हैं । अधिकारी मंत्री लोगों का थोड़े ही सुनता है। आजकल तो अफसरशाही लागू हो चुकी है। ''लोग बोले फोन करने पर भी नहीं आते हैं बीएलओ''। ''चौथी पीढ़ी तक का कागज मांग रहे हैं।'' हम जानना चाहते हैं सरकार यहां बैठी हुई है कि जो 11 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने मांगे हैं, कितने परसेंट बिहारी लोगों के पास वह 11 डॉक्यूमेंट हैं ? कितने परसेंट

बिहारी लोगों के पास, कितने लोगों के पास ? बिहार सबसे फिसड्डी है डॉक्यूमेंट के मामले में । नहीं, समय आयेगा तो आप बोलियेगा, लेकिन आप बताइये एक–एक करके।

(व्यवधान)

आपको हम याद दिला रहे हैं, लिख लीजिए ताकि बाद में आप बोल दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, आप अजीत अंजुम जी को देखियेगा, उनके यूट्यूब चैनल पर जाइयेगा। कैसे फर्जी साइन कर रहा है, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, कैसे फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है बिना किसी डॉक्यूमेंट के । यह नहीं जानते हैं कि उनका भी फॉर्म जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार जरा देख लीजिए और आपकी सरकार ने, माफ कीजिएगा, एक ईमानदार पत्रकार को, जो ग्राऊंड रियलिटी को चेक कर रहा था उस पर आप लोगों ने एफआईआर करा दी। अजीत अंजुम, जो दिल्ली से आया है, जो सच दिखा रहा है।

(व्यवधान)

आप कौन होते हैं तय करने वाले ? जो फर्जीवाड़ा...

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : आप कौन होते हैं ? एकदम फर्जी है। XXX

(व्यवधान)

(इस अवसर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये। बैठिये, शांति बनाये रखिये। अरे, बैठिये न । बैठिये, शांति बनाये रखिये। बोला न उन्होंने, बैठिये न।

(व्यवधान जारी)

इन्होंने कहा न जो कहना है । बैठिये। इनकी मदद में आप क्यों आ रहे हैं, सक्षम हैं ये । बैठिये।

(व्यवधान जारी)

श्री जनक सिंह : इनको बोलने का तरीका नहीं है । क्या बोल रहे हैं, यह बोलने का तरीका है आपको ?

अध्यक्ष : बैठिये, बैठ जाइये। बैठिये, बैठिये न। बैठिये, सब लोग बैठिये। बैठ जाइये, सब लोग बैठ गये, बैठ जाइये।

(व्यवधान जारी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : XXX

अध्यक्ष : सब लोग बैठ गये, बैठ जाइये।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

संजय जी, संजय जी । रोको इन्हें।

अब सभा की कार्यवाही 04.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

---

XXX- आसन के आदेशानुसार इस अंश को विलोपित किया गया ।

---

टर्न–10 / धिरेन्द्र / 25.07.2025

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठिये ।

माननीय सदस्यगण, आज जो दृश्य पवित्र सदन में देखने को मिला, वह अत्यंत खेदजनक, पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण था । जिस भी पक्ष से मर्यादा की सीमा का उल्लंघन हुआ है, वह उचित नहीं था ।

सर्वप्रथम, मैं आप सभी से यह अपेक्षा करता हूँ कि हम एक मर्यादित लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हमारी प्रत्येक क्रिया, व्यवहार और भाषा इस लोकतांत्रिक संस्था की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए । आपसी वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, परन्तु उन मतभेदों की अभिव्यक्ति यदि शालीनता की सीमा लांघती है तो वह न केवल संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है बल्कि जन अपेक्षाओं के अनुरूप भी नहीं है ।

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपत्तिजनक शब्द, अमर्यादित व्यवहार या अवांछनीय शब्द, अमर्यादित व्यवहार या अवांछनीय टिप्पणी इस सदन में स्वीकार्य नहीं होती है । यह सदन विमर्श का मंत्र है, संघर्ष का नहीं । यदि हम यहाँ अनुशासन, सहिष्णुता और संयम के मूल्यों का पालन नहीं करेंगे तो यह सदन अपनी गरिमा और विश्वसनीयता खो देगा ।

मैं सभी पक्षों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने–अपने वक्तव्यों और व्यवहार में शालीनता बरतें, यदि किसी से अकारण या आवेश में कोई अशोभनीय बात हुई हो तो उसे त्यागें और इस दौरान जो भी असंसदीय एवं आपत्तिजनक बातें होंगी उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा ।

विवादों को विवेक से और असहमति को आदर के साथ व्यक्त करना ही लोकतंत्र की आत्मा है । आईए, हम इस पवित्र सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करें । जनता ने हम सबको यहाँ अपने विश्वास से पहुँचाया है । उस विश्वास की मर्यादा हमें बनाए रखनी है ।

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि आगामी कार्यवाही में पूर्ण मर्यादा, संयम और गरिमा बनाए रखें ताकि यह सदन बिहार की जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का यथोचित निर्वहन कर सके ।

अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग।

(व्यवधान जारी )

माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये । मैंने पूरी बात कही है । माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगें)

(व्यवधान जारी )

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज समाज कल्याण विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10194,02,75,000/– (दस हजार एक सौ चौरानवे करोड़ दो लाख

पचहत्तर हजार) रुपये जो खर्च होगा । मैं इसे सदन पटल पर रखता हूँ और अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और सदन के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें बोलने का अवसर दिया है और विपक्ष से भी आग्रह करेंगे जो आपने कहा है वह उसका पालन करे । अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि यह जो मेरा वक्तव्य है उसको प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाय, मैं इसे सदन पटल पर रखता हूँ । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : इसे प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाय । माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ । (परिशिष्ट–द्रष्टव्य)

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य के द्वारा कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रुपये से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''समाज कल्याण विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10194,02,75,000/– (दस हजार एक सौ चौरानवे करोड़ दो लाख पचहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगें गिलोटीन के माध्यम से ली जायेंगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :–

माँग संख्या–01 : कृषि विभाग के संबंध में 1034,43,92,000/– (एक हजार चौतीस करोड़ तैतालीस लाख बानवे हजार) रुपये

माँग संख्या–02 : पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 439,05,49,000/– (चार सौ उनचालीस करोड़ पांच लाख उनचास हजार) रुपये

माँग संख्या–03 : भवन निर्माण विभाग के संबंध में 1815,18,75,000/– (एक हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़ अठारह लाख पचहत्तर हजार) रुपये

माँग संख्या–04 : मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 540,98,96,000/– (पांच सौ चालीस करोड़ अंठानवे लाख छियानवे हजार) रुपये

माँग संख्या–06 : निर्वाचन विभाग के संबंध में 228,44,16,000/– (दो सौ अठ्ठाईस करोड़ चौवालीस लाख सोलह हजार) रुपये

माँग संख्या–07 : निगरानी विभाग के संबंध में 1,46,50,000/– (एक करोड़ छियालीस लाख पचास हजार) रुपये

माँग संख्या–08 : कला संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 94,67,000/– (चौरानवें लाख सड़सठ हजार) रुपये

माँग संख्या–09 : सहकारिता विभाग के संबंध में 104,14,89,000/– (एक सौ चार करोड़ चौदह लाख नवासी हजार) रुपये

माँग संख्या–10 : ऊर्जा विभाग के संबंध में 3192,35,70,000/– (तीन हजार एक सौ बानवे करोड़ पैंतीस लाख सत्तर हजार) रुपये

माँग संख्या–11 : पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 399,67,07,000/– (तीन सौ निन्यानवे करोड़ सड़सठ लाख सात हजार) रुपये

माँग संख्या–12 : वित्त विभाग के संबंध में 9670,12,75,000/– (नौ हजार छः सौ सत्तर करोड़ बारह लाख पचहत्तर हजार) रुपये

माँग संख्या–16 : पंचायती राज विभाग के संबंध में 852,29,53,000/– (आठ सौ बावन करोड़ उनतीस लाख तिरेपन हजार) रुपये

माँग संख्या–18 : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 687,86,81,000/– (छः सौ सत्तासी करोड़ छियासी लाख इक्यासी हजार) रुपये

माँग संख्या–19 : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 150,97,94,000/– (एक सौ पचास करोड़ संतानवे लाख चौरानवे हजार) रुपये

माँग संख्या–20 : स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 3228,90,70,000/– (तीन हजार दो सौ अठ्ठाईस करोड़ नब्बे लाख सत्तर हजार) रुपये

माँग संख्या–21 : शिक्षा विभाग के संबंध में 12095,48,72,000/–(बारह हजार पंचानवे करोड़ अड़तालीस लाख बहत्तर हजार) रुपये

माँग संख्या–22 : गृह विभाग के संबंध में 375,22,02,000/– (तीन सौ पचहत्तर करोड़ बाईस लाख दो हजार) रुपये

माँग संख्या–23 : उद्योग विभाग के संबंध में 1306,46,73,000/– (एक हजार तीन सौ छः करोड़ छियालीस लाख तिहत्तर हजार) रुपये

माँग संख्या–24 : सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंध में 66,55,41,000/– (छियासठ करोड़ पचपन लाख इकतालीस हजार) रुपये

माँग संख्या–25 : सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 72,90,00,000/– (बहत्तर करोड़ नब्बे लाख) रुपये

माँग संख्या–26 : श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 530,19,94,000/–(पांच सौ तीस करोड़ उन्नीस लाख चौरानवे हजार) रुपये

माँग संख्या–27 : विधि विभाग के संबंध में 26,74,71,000/– (छब्बीस करोड़ चौहत्तर लाख इकहत्तर हजार) रुपये

माँग संख्या–29 : खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 1,000/– (एक हजार) रुपये

माँग संख्या–30 : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 19,28,02,000/– (उन्नीस करोड़ अठ्ठाईस लाख दो हजार) रुपये

माँग संख्या–32 : विधान मंडल के संबंध में 20,30,00,000/– (बीस करोड़ तीस लाख) रुपये

माँग संख्या–33 : सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 30,73,14,000/– (तीस करोड़ तिहत्तर लाख चौदह हजार) रुपये

माँग संख्या–35 : योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 157,59,56,000/– (एक सौ संतावन करोड़ उनसठ लाख छप्पन हजार) रुपये

माँग संख्या–36 : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 197,91,26,000/– (एक सौ संतानवे करोड़ इक्यानवे लाख छब्बीस हजार) रुपये

माँग संख्या–37 : ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 1807,41,34,000/– (एक हजार आठ सौ सात करोड़ इक्तालीस लाख चौंतीस हजार) रुपये

माँग संख्या–38 : मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 116,29,70,000/– (एक सौ सोलह करोड़ उनत्तीस लाख सत्तर हजार) रुपये

माँग संख्या–39 : आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 120,53,94,000/– (एक सौ बीस करोड़ तिरेपन लाख चौरानवे हजार) रुपये

माँग संख्या–40 : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 471,16,48,000/– (चार सौ इकहत्तर करोड़ सोलह लाख अड़तालीस हजार) रुपये

माँग संख्या–41 : पथ निर्माण विभाग के संबंध में 1200,00,00,000/– (एक हजार दो सौ करोड़) रुपये

माँग संख्या–42 : ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 2169,99,05,000/– (दो हजार एक सौ उनहत्तर करोड़ निन्यानवे लाख पांच हजार) रुपये

माँग संख्या–43 : विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 6,42,97,000/– (छः करोड़ बयालीस लाख संतानवे हजार) रुपये

माँग संख्या–44 : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 61,43,06,000/– (इकसठ करोड़ तैतालीस लाख छः हजार) रुपये

माँग संख्या–45 : गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 71,50,00,000/– (इकहत्तर करोड़ पचास लाख) रुपये

माँग संख्या–46 : पर्यटन विभाग के संबंध में 40,00,00,000/– (चालीस करोड़) रुपये

माँग संख्या–47 : परिवहन विभाग के संबंध में 16,17,00,000/– (सोलह करोड़ सत्रह लाख) रुपये

माँग संख्या–48 : नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 2860,85,22,000/– (दो हजार आठ सौ साठ करोड़ पच्चासी लाख बाईस हजार ) रुपये

माँग संख्या–49 : जल संसाधन विभाग के संबंध में 1407,56,54,000/– (एक हजार चार सौ सात करोड़ छप्पन लाख चौवन हजार) रुपये

माँग संख्या–50 : लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 90,00,00,000/– (नब्बे करोड़) रुपये

माँग संख्या–52 : खेल विभाग के संबंध में 61,63,50,000/– (इकसठ करोड़ तिरेसठ लाख पचास हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभी मांगे स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य लिये जाएंगे ।

(व्यवधान जारी)

विधायी कार्य

बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2025

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुरः स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।"

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बड़े फैसले लिए हैं । पहला बिजली के सेक्टर में 125 यूनिट पर पूर्ण रूप से सभी को अनुदान दिया और दूसरा, सभी बहनों को, दिव्यांगजन को, विधवाओं को और विकलांग भाइयों को, सभी को पेंशन की राशि चार सौ रुपये से बढ़ा कर ग्यारह सौ रुपया किया गया है । इसलिए सभी सदस्यों से आग्रह करते हैं कि इसकी स्वीकृति देने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–24 जुलाई, 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या–54 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक–25 जुलाई, 2025 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

## समाज कल्याण विभाग

- **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना**–सभी पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 प्रतिमाह कर दिया गया है। जिसका मासिक खर्च 1223.51 (बारह सौ तेईस करोड़ एकावन लाख) है तथा वार्षिक खर्च 14682.13 (चौदह हजार छः सौ बेरासी करोड़ तेरह लाख) है। कुल पेंशनधारियों की संख्या 111. 20 लाख (एक करोड ग्यारह लाख बीस हजार) है।
- **पोशाक योजना** :– जीविका के माध्यम से निर्मित प्रति बच्चा दो सेट पोशाक आँगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने एवं पोशाक की दर में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को अंगीकृत करते हुए योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान में कुल 52,82,132 (बावन लाख बेरासी हजार एक सौ बत्तीस) लाभुक बच्चें हैं। कुल खर्च 2,11,28,52,800/– (दो अरब ग्यारह करोड़ अठाईस लाख बावन हजार आठ सौ रू0) है।
- **दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनाः**– वित्तीय वर्ष 2025–26 से राज्य के पिछड़ा वर्ग (BC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं सामान्य वर्ग के पुरूष दिव्यांग अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के द्वारा सिविल सेवा हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु क्रमशः रू0 50,000/–(पचास हजार) एवं रू0 1,00,000/– (एक लाख) की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के उद्देश्य से **एक नई योजना के रूप में दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गयी है।**
- **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनाः**– बी0पी0एल0 परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹ 60000.00 (साठ हजार) तक हो, कन्या के विवाह उपरांत ₹ 5000.00 (पाँच हजार) के आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में अबतक 13,874 (तेरह हजार आठ सौ चौहत्तर) लाभुकों को भुगतान किया गया है।
- **मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना अंतर्गत** बैट्री चालित ट्राईसाईकिल 10,000 लाभुकों तक निःशुल्क वितरण की अधिसीमा को समाप्त कर दिया गया है।
- **स्पाँसरशिप** कार्यक्रम के अन्तर्गत तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं के बच्चों, ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता (कमाऊ सदस्य) मानसिक रोग अथवा जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हों या जिन्हें कैद की सजा हुई हो, ऐसे परिवारों के अधिकतम 02 बच्चों को प्रतिमाह ₹ 4000.00 (चार हजार) की राशि 18 वर्ष पूर्ण होने तक देय है। कुल 13,317 (तेरह हजार तीन सौ सतरह) लाभुकों को भुगतान किया गया है।

# प्रथम अनुपूरक – समाज कल्याण विभाग

महोदय, विभाग अन्तर्गत संचालित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु प्रथम अनुपूरक के माध्यम से माँग सं0–51 अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में रू0 50.47 लाख (पचास लाख सैंतालीस हजार) तथा योजना मद में रू0 1019352.28 लाख (दस हजार एक सौ तिरानवे करोड़ बावन लाख अठाईस हजार) अर्थात कुल– रू0 1019402.75 लाख (दस हजार एक सौ चौरानवे करोड दो लाख पचहत्तर हजार) मात्र को सदन के पटल से पारित किया जाना है।

महोदय मैं, मांग संख्या–51 के तहत समाज कल्याण विभाग को वितीय वर्ष 2025–26 के लिए प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त रू0 1019402.75 लाख (दस हजार एक सौ चौरानवे करोड दो लाख पचहत्तर हजार) मात्र की राशि को सदन के पटल से पारित किये जाने का अनुरोध करता हूँ।

## दरभंगा की विकास यात्रा

- एयरपोर्ट बनाया गया है।
- एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
- जल्द ही 1868.87 करोड़ की लागत से दरभंगा रेलवे स्टेशन से आमस–दरभंगा एक्सप्रेस वे (दोनार चौक, कर्पूरी चौक) तथा कर्पूरी चौक से एकमी चौक (भाया–लहेरियासराय टावर, लोहिया चौक) तक मार्ग के अपग्रेडेशन एवं एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शीघ्र शुरू होनेवाला है।
- बिहार का दूसरा तारामंडल–सह विज्ञान संग्राहालय भी बनाया गया है।

## विकासशील पटना

- **अटल पथ** पटना का एक प्रमुख सड़क है जो आर0 ब्लॉक से दीघा तक जाती है। यह 6.3 किलोमीटर लंबी सड़क है।
- **लोहिया पथ चक्र** बन जाने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा हो रही है जाम से निजात मिल रहा है।
- **जे0पी0** गंगा पथ (पटना मरीन ड्राइव) गंगा नदी के किनारे **एक फोरलेन एक्सप्रेस वे** है जो पूर्वी पटना और पश्चिमी पटना के बीच यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने और अशोक राजपथ पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया है।
- 129 करोड़ की लागत देश का सबसे बड़ा **बापू टावर** बनकर तैयार हो गया है। बापू टावर की प्रर्दशनी गैलरी में लगने वाली मूर्तिया और कलाकृर्तियॉं अद्‌भुत है।
- पटना जंक्सन के सामने बने **भूमिगत सब–वे और मल्टी मॉडल हब (हैरिटेज टनल)** का निर्माण हो चुका है। इससे लोगों के लिए पटना जं0 आने–जाने में सुविधा होगी।
- पटना के अशोक राजपथ पर बने 422 करोड की लागत से बिहार के पहले **डबल डेकर पुल** बन जाने से यातायात सुगम हो गया है यह पटना कॉलेज से बी0एन0 कॉलेज तक पहला और कारगिल चौक से साईस कॉलेज तक दूसरा डेक तैयार है। यह पुल जे0पी0 गंगा पथ से भी जुड़ेगा।
- 1105 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित **मीठापुर–महूली ऐलिवेटेड रोड** के निर्माण से दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों में आना–जाना अब बेहद आसान हो गया है। साथ ही पटना के दक्षिणी इलाकों में रहनेवाले लोगों को यातायात में काफी आसानी हो रही है।
- 1000 करोड़ रू0 की लागत से **अनिसाबाद एम्स ऐलिवेटेड रोड** का निर्माण जल्द ही शुरू होना है ।
- पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय भूमिगत मार्ग (सुरंग) के बीच 1.5 किलोमीटर लंबे **भूमिगत मार्ग** से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।
- पटना मेट्रो का पहला चरण, जिसे प्राथमिकता कॉरिडोर कहा जाता है, 15 अगस्त 2025 से शुरू होना है। इस चरण में मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक 6.1 किलोमीटर का खण्ड शामिल है।

# राघोपुर

- पटना से राघोपुर तक कच्ची दरगाह –बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन किया गया है। इस पुल की चौड़ाई 32 मीटर है और इसके बन जाने से राघोपुर दियारा के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और राघोपुर से पटना का सफर मात्र 5 मिनट में किया जा सकेगा।

## शिक्षा विभाग

- **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना** के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए कम ब्याज दरो पर 4 लाख रूपये दिया जाता है।
- **शिक्षक बहाली** :– 2005 में सरकारी शिक्षकों की संख्या मात्र 2 लाख 25 हजार थी, 2025 में वह संख्या बढ़कर 5 लाख 97 हजार 742 हो गई है।
- 2005 में 12.5 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर थे, वह 2025 में मात्र 0.5 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर है।
- **साक्षरता दर** 2001 में 47.53 प्रतिशत थी जो अब 79.70 प्रतिशत हो गई है।
- **महिला साक्षरता दर** 2001 में 33.57 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 73.91 प्रतिशत हो गई है।

## महिला सशक्तिकरण

- वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
- 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य के सभी कन्याओं को जन्म से लेकर 21 वर्ष तक के आयु तक विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग प्रोत्साहन राशि प्रदान किया है।
- जीविका दीदीओं की संख्या अब 1 करोड़ 35 लाख हो गई है।

## आपदा प्रबंधन विभाग

### कोशी त्रास्दी

- बाढ़ में 1 क्विंटल अनाज देने पर माननीय मुख्यमंत्री को क्विंटल बाबा का नाम दिया गया।
- सामुदायिक किचन की व्यवस्था
- 7 हजार रूपये की सहायता राशि।
- पूर्व की सरकार में 25 किलो अनाज के लिए भी भटकना पड़ता था।
- पूर्व में दरभंगा जिला के मनिगाछी प्रखंड में एक अतिपिछड़ा बच्चे को बाढ़ राहत लेने हेतु गोली का शिकार होना पड़ा था।

## जल जीवन हरियाली

- 17 हजार 561 तालाब, पोखर, आहर–पईन आदि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
- एक लाख आहर–पईन एवं तालाब के जीर्णोद्धार के साथ सीढ़ी घाट का निर्माण।
- 64 हजार 306 नए जल स्त्रोतो का निर्माण कराया गया। गंगाजल उद्वह योजना के तहत पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में पेयजल हेतु बोधगया, गया, राजगीर एवं नवादा में गंगा जल पहूँचाया गया।
- अबतक लगभग 14 करोड़ पौधे लगाए गए है।
- जल जीवन हरियाली अभियान की चर्चा आज देश और दुनिया में है। इस महान प्रयास के कारण मुख्यमंत्री जी को आज क्लाइमेट लीडर कहा जाता है।

## अन्य उपलब्धियाँ

- **आरक्षण** :– अतिपिछडा वर्ग को 18 प्रतिशत आरक्षण है।
- **रोजगार** :– 12 लाख सरकारी नौकरी एवं 38 लाख रोजगार यानि कुल 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। वर्ष 2025–2030 के बीच 1 करोड़ युवाओं रोजगार एवं नौकरी दी जायेगी।
- फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना जी0आई0 टैग। मखाना को मिला एच0एस0 कोड (हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड)।
- ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना
- पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता
- राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना
- पटना आई0आई0टी0 के विस्तार की घोषणा की गई है।
- मछली का उत्पादन वर्ष 2005 में मात्र 2.5 मीट्रिक टन था जो अब 9 लाख मीट्रिक टन हो गया।

## अपराध नियंत्रण

- 2005 से पूर्व लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे परन्तु 2005 में नई सरकार बनी तो सर्वप्रथम कानून व्यवस्था को ठीक किया गया।
- पुलिस की संख्या बढ़कर 1 लाख 10 हजार हो गई, जिसे और बढ़ाकर 2 लाख 29 हजार करने के लिए तेजी से नियुक्ति की जा रही है।
- पुलिस को बड़ी संख्या में वाहन एवं हथियार उपलब्ध कराया गया है ताकि उन्हें विधि–व्यवस्था बनाये रखने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
- पुलिस के प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था की गई है। राजगीर में पुलिस एकेडमी की स्थापना इसी दिशा में उठाया गया कदम है।
- स्पीडी ट्रायल के माध्यम से बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा मिली है।
- राज्य में 2005 की तुलना में अब हत्या, डकैती, लूट एवं फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं में बहुत कमी आई है।

**2024 में एन0डी0ए0 सरकार (केन्द्र) द्वारा बिहार को 60 हजार करोड़ रूपये से अधिक का विशेष पैकेज देकर बिहार के विकास को और गति दी है।**